न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/26/2013

उनवान

1. फकरूद्दीन पुत्र जहुर मोहम्मद शेख निवासी पुरानी धानमण्डी, बाहला मदिना चौक, भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. हबीब मोहम्मद वल्द जहुर मोहम्मद शेख निवासी पुरानी धानमण्डी, मदिना चौक, भीलवाडा
2. देवी वल्द नन्दा नाई निवासी तस्वारिया तहसील व जिला भीलवाडा
3. राधेश्याम वल्द भैरूलाल नाई निवासी तस्वारिया तहसील व जिला भीलवाडा
4. कैलाश वल्द भैरू लाल नाई निवासी तस्वारिया तहसील व जिला भीलवाडा
5. पार्वती पुत्री भैरू लाल नाई निवासी तस्वारिया तहसील व जिला भीलवाडा
6. गीता पुत्री भैरू लाल नाई निवासी तस्वारिया तहसील व जिला भीलवाडा
7. पुष्पा पत्नी भैरू लाल नाई निवासी तस्वारिया तहसील व जिला भीलवाडा
8. माधु वल्द मोहन नाई निवासी तस्वारिया तहसील व जिला भीलवाडा
9. चन्द्र सिंह वल्द सज्जन सिंह राठोड निवासी तस्वारिया तहसील व जिला भीलवाडा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट्स

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के
प्रकरण संख्या 248/2012 निर्णय दिनांक 10.12.2012

अधिवक्तागण :—

1. श्री रमेश चेचाणी , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री जे सी दाधीच, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांक 28.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 का परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :—

रामा जी (मूल पुरूष) फौत
↓
नाथू जी (गोदपुत्र) जिनका निधन रामा जी के जीवनकाल में हो गया ।
↓
मोहन (पुत्र) फौत — मगना (पुत्र)फौत

मोहन (पुत्र) फौत ↓
नन्दा (फौत) (पुत्र) — भैरू (फौत) (पुत्र) — माधु (पुत्र) प्रति0सं0 7

नन्दा (फौत) (पुत्र) ↓
देवी (पुत्र) प्रति सं01

भैरू (फौत) (पुत्र) ↓
राधेश्याम(पुत्र) कैलाश (पुत्र) पार्वती(पुत्री) गीता(पुत्री) पुष्पा(पुत्री)

मगना (पुत्र)फौत ↓
लादु (पुत्र)

उक्त सजरे के अनुसार मूल पुरूष रामा जी की मृत्यु पर उनके नाम दर्ज भूमियों में उनके पुत्रों मोहन एवं मगना का प्रत्येक का 1/2 हिस्सा कायम हुआ, जिनमें से मगना

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

का देहान्त मोहन के जीवनकाल में हो गया । मगना का पुत्र लादु है। अतः भूमियों में 1/2 हिस्सा मोहन का एवं 1/2 हिस्सा लादू का कायम हुआ और इसी अनुसार गांव तस्वारिया तहसील भीलवाडा में स्थित भूमियॉ मोहन एवं लादु के नाम बराबर बराबर हक हिस्से से दर्ज रिकार्ड हुई। मोहन एवं लादु के नाम दर्ज साबिक नम्बरान की भूमियों की जमाबंदी संवत 2021 से 2024 में कुल किता 8 कुल रकबा 15 बीघा 07 बिस्वा भूमियों में से आराजी नम्बर 267 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 268 रकबा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 269 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा दर्ज है।

2. रामा जी नाई ने स्वयं का 1/2 हिस्सा एवं लादु वल्द मगना का 1/2 हिस्सा जो कि उस समय 14 वर्षो का होकर नाबालिग था, के संरक्षक की हैसियत से रामा जी ने उक्त वर्णित आराजी नम्बर 267 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 268 रकबा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 269 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा जिनमें से कि 04 बिस्वा भूमि नहर में चली गई। अतः शेष बची भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि को दिनांक 16.2.1973 को वादीगण हबीब मोहम्मद एवं फकरूद्दीन को बिल एवज 2500/—रूपये में विक्रय कर विक्रयसुदा भूमि का कब्जा उसी दिन वादीगण को सुपुर्द कर दिया । जिस बाबत रामा जी नाई ने स्वयं की ओर से एवं नाबालिग लादु नाई के संरक्षक की हैसियत से एक विक्रय पत्र वादीगण के पक्ष में 16.2.1973 को निष्पादित करा उसका पंजीयन दिनांक 6.3.1973 को करा दिया । वादीगण इस भूमि पर क्रय करने की तारीख से आज दिन तक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। भूमि क्रय से आज दिन तक जिन्स गिरदावरियों में जो फसल दर्ज है, वह वादीगण ने काश्त की है। विक्रयसुदा भूमि के उस समय के पडौस इस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में दर्ज है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

में वर्णित पडौसो के मध्य की भूमि का कब्जा रामाजी ने वादीगण को दिनांक 16.2.1973 को सिपुर्द किया था। रामा जी द्वारा वादीगण को विक्रय की गई भूमि के जो नम्बर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में वर्णित है, वे साबिक नम्बरान है, हाल भू प्रबन्ध की कार्यवाही में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में वर्णित पडौसों के मध्य की आराजियात के नये नम्बरान 166 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा, एवं आराजी नम्बर 15 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा, कुल किता 2 रकबा 4 बीघा 04 बिस्वा कायम हुए हैं। इन नये नम्बरान की भूमि जमाबंदी संवत 2063 से 2066 में प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के नाम प्रतिवादीगण संख्या 08 के नाम एवं वादीगण के नाम दर्ज है।

3. वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 से 07 के पूर्वज रामा जी ने उक्त भूमियों में उनका 1/2 हिस्सा एवं 1/2 हिस्सा लादु का, उक्त लादु के संरक्षक की हैसियत से विक्रय किया है । वादीगण ने पूर्ण प्रतिफल देकर उक्त भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। वादीगण सद्भाविक केतागण है। वादीगण उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर उक्त खरीदसुदा भूमि पर पिछले 35 वर्षो से ज्यादा अवधि से बतौर कानूनी खातेदारी काश्तकार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि खरीदने के बाद कतिपय बार वादीगण ने विकेता रामा जी को उनके जीवनकाल में विक्रयसुदा भूमि का इंतकाल वादीगण के नाम खुलाने हेतु निवेदन किया एवं रामा जी की मृत्यु के बाद कतिपय बार उनके उक्त पुत्रों व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 को कहा लेकिन वे टालमटोल करते चले आ रहे हैं। आज दिन तक खरीदसुदा भूमि का उनके 1/2 हिस्से का इंतकाल वादीगण के पक्ष में नहीं खुलाया। वादीगण ने कतिपय बार प्रतिवादी संख्या 09 तहसीलदार भीलवाडा को भी इंतकाल खोलने हेतु निवेदन किया, लेकिन उन्होनें आज

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिनांक तक वांछित कार्यवाही नहीं की है। वादीगण ने अंतिम बार दिनांक 5.4.2008 को प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को उक्त खरीदसुदा भूमि के उनके 1/2 हिस्से का इंतकाल खुलाने को कहा लेकिन वे इंकार हो गये। उक्त नम्बरान की भूमि का जो 1/2 हिस्सा जो कि लादु पिता मगना के नाम दर्ज था एवं जिस हिस्से की मोहन जी ने लादु के संरक्षक की हैसियत से वादीगण को विक्रय किया था, उस हिस्से का इंतकाल जरिये इंतकाल संख्या 732 दिनांक 5.4.2008 को वादीगण के पक्ष मे किया गया है।

4. प्रतिवादी देवी एवं प्रतिवादी श्री माधु ने उक्त नम्बरान की भूमि में उनका कोई हक हिस्सा एवं कब्जा नहीं होते हुए भी उन्होनें वादीगण के पौसीदा तौर पर इन दोनों ने उनके उक्त भूमि के प्रत्येक के तथाकथित 1/4 हिस्से की भूमि यानि कुल 1/2 हिस्से की भूमि को दिनांक 3.11.2007 को बिल एवज 51,000/– में प्रतिवादी संख्या 08 को चन्द्र सिंह राठौड को विक्रय कर उसी दिन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया है एवं इस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण के पौसीदा तौर पर इंतकाल संख्या 715 दिनांक 20.12.2007 प्रतिवादी चन्द्र सिंह राठौड के पक्ष में फैसल करा दिया है । प्रतिवादीगण देवी एवं माधु को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तहरीर कराने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। क्योंकि उनके पूर्व मोहन जी उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा उक्त कुलिया भूमि वादीगण को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया है। अतः इस भूमि में प्रतिवादीगण देबी एवं माधु का न तो कोई हक हिस्सा रहा है एवं न ही वक्त विक्रय इस भूमि के किसी भू भाग पर उनका कोई कब्जा था। इन दोनों प्रतिवादीगण ने महज जमाबंदी में भूमि उनके नाम अंकित रह जाने की प्रविष्टि के अनुसार भी उक्त दोनों नम्बरान की भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 का सम्मिलित 1/2 हिस्सा दर्ज है जिस

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कारण भी प्रतिवादी देबी एवं माधु का उक्त नम्बरान की भूमि के 1/2 हिस्से को विक्रय करने का अधिकार नहीं है। वादीगण ने विक्रय पत्र दिनांक 16.2.73 द्वारा भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, जिसका पंजीयन दिनांक 6.3.73 को करा दिया है। अतः इसी भूमि का दिनांक 3.11.2007 को तहरीर किया गया । रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पश्चातवर्ती होने के कारण सपंति हस्तान्तरण अधिनियम के प्रावधान के तहत अवैध अकृत एवं शून्य है। अतः रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 3.11.2007 के कारण वादीगण के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडने के कारण इस पश्चावर्ती रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को वादीगण के मुकाबले शून्य निष्प्रभावी एवं अवैध घोषित किये जाने की डिक्री पारित किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 द्वारा वादीगण के पक्ष में विक्रयसुदा भूमि का इंतकाल फैसल कराने से इंकार कर दिये जाने एवं प्रतिवादीगण देवी एवं माधु द्वारा प्रतिवादी चन्द्रसिंह राठोड के पक्ष में अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तहरीर कर दिये जाने के कारण वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक डिक्री पारित कराये जाने का अधिकारी है कि वादीगण उक्त आराजी नम्बर 166 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 156 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा भूमि के खातेदार काश्तकार है। इस भूमि बाबत राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में जो अंकन प्रतिवादी संख्या 2 से 6 एवं 8 के नाम है, उस बाबत इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर संबंधित जमाबंदी में उनके नाम के स्थान पर वादीगण का नाम अंकन किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया मामला होकर सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा यदि दौराने विचारण वाद विपक्षीगण उक्त विवादित आराजी को अन्य लोगों को विक्रय करने , रहन , बय बक्षीस अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण कर दिया जो प्रार्थीगण द्वारा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वाद पेश किया जाना ही व्यर्थ हो जायेगा तथा अनेकानेक वाद विवाद बढ जायेंगें तथा प्रार्थीगण को काफी अपूर्णीय क्षति होगी। अतः मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्दकिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

5. अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराय यजावेकि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के उपयोग उपभोग में विपक्षीगण किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा प्रार्थी को उक्त आराजी का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देंवें तथा जबरन प्रार्थी को उक्त आराजी से बेदखल न तो विपक्षीगण स्वयं करे एवं न अपने अधिकृत प्रतिनिधि/एजेण्ट से बेदखल करावें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

6. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजीनामे के आधार पर स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

7. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.12.2012 को पारित किया गया । जिसकी निर्णय हेतु आवेदन करने पर निर्णय की प्रति अपीलाण्ट को दिनांक 31.1.2013 को प्राप्त हुई। जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण में राजीनामा प्रार्थना पत्र मात्र रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा पेश किया गया एवं रेस्पोडेण्ट संया 1 के हक हिस्से तक ही राजीनामा पेश किया गया , अपीलाण्ट ने अपने हक हिस्से का कोई राजीनामा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया । अधिनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के राजीनामे के आधार पर प्रार्थना पत्र को निस्तारित करने में भारी भूल की है एवं अपीलाण्ट की ओर से किसी प्रकार का राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न ही अपीलाण्ट की ओर से कोई राजीनामे के लिए उपस्थित ही हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय में मूल वाद विचाराधीन होकर जैर कार्यवाही है। अपीलाधीन प्रकरण को निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करना चाहिये था। रेस्पोडेण्ट ने ने आपसी मिलाभगती कर अपीलाण्ट के न्याय पाने से वंचित करने की गरज से राजीनामा प्रस्तुत किया एवं अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है। जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण विधिविरूद्ध तरीके से किया है। अधिनस्थ न्यायालय को दोनों ही वादीगण की उपस्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत राजीनामे को तस्दीक किया जाना चाहिये था एवं उसके उपरानत निर्णय पारत किया जाना चाहिये था। अपीलाण्ट को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा राजीनामा किये जाने की जानकारी भी नहीं थी। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पारित अपीलाधीन निर्णय विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन प्रकरण में रेस्पोडेण्ट्स ने दुरभि संधि कर केवल मात्र रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत करवाया है, और इसी आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को राजीनामे के आधार पर निस्तारित किया है। जो न्यायोचित नही है। अधिनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिये था।

12. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया वह उचित नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

13. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

14. अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं न ही वह स्वयं उपस्थित हुआ था। राजीनामे को अधिवक्ता द्वारा तस्दीक नहीं किया गया था। प्रत्यर्थीगण ने दुरभिसंधि कर प्रत्यर्थी संख्या 1 से राजीनामा प्रस्तुत करवा कर अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है। अपीलार्थी ने राजीनामा नहीं किया ऐसी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

स्थिति में प्रत्यर्थी संख्या 1 की हद तक प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा सकता था। हमनें अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 18.10.2012 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि '' **यह कि प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त अनवान का प्रकरण राजस्व ग्राम तस्वारिया, पटवार हल्का पालडी तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 166 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा व आराजी संख्या 156 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा बाबत विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य मौतबिरान की समझाईश से राजीनामा हो चुका है और उक्त प्रकरण में इस स्तर पर कार्यवाही निरस्त करवाना चाहते हैं और प्रकरण में इसी स्तर पर कार्यवाही निरस्त करवाना चाहते है। प्रार्थी संख्या 1 का उपरोक्त आराजियात में 1/4 हक हिस्सा मात्र है।** ''प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी संख्या 01 का शपथ पत्र पेश है। उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी संख्या 1 हबीब मोहम्मद के हस्ताक्षर है। परन्तु प्राार्थना पत्र पर अपीलाण्ट के हस्ताक्षर न होना संलग्न पत्रावली प्रार्थना पत्र से प्रकट होता है। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र पर प्रार्थी हबीब मोहम्मद के हस्ताक्षर हैं, तथा अपीलाण्ट/प्रार्थी संख्या 2 के हस्ताक्षर नहीं है। प्रार्थीगण के पक्ष में वकील श्री अम्बालाल कुमावत द्वारा पक्ष प्रस्तुत किया गया प्रकट है, जिसकी ताईद प्रार्थना पत्र व निर्णय दिनांक 18.12.2012 से होती है। प्रस्तुत अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अंकित पृष्ठ संख्या 1 से 72 तक अवलोकन उपरान्त भी वकालतनामा प्रार्थीगण संलग्न नहीं पाया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर अपीलाण्ट/प्रार्थी संख्या 2 के हस्ताक्षर नहीं होने के उपरान्त भी प्रार्थना पत्र उनवान में उन्हें प्रार्थी संख्या 2 मान कर प्रार्थना पत्र निर्णित किया गया है। अधिनस्थ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय में प्रार्थीगण ने अधिवक्ता अम्बा लाल कुमावत को पैरवी हेतु नियुक्त किया था तथा राजीनामा प्रार्थना पत्र पर अपीलाण्ट/प्रार्थी नम्बर 2 के तत्समय के अधिवक्ता के स्वयं के हस्ताक्षर हैं अपीलाण्ट/प्रार्थी नम्बर 2 द्वारा प्रार्थना पत्र में पैरवी हेतु नियुक्त अधिवक्ता को ही अपील में भी पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त किया है परन्तु विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा कोई कथन नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में यह नही माना जा सकता है कि राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की जानकारी अपीलाण्ट को नहीं हो अथवा अपीलार्थी की असहमति के बावजूद अधिवक्ता प्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थना पत्र राजीनामा हस्ताक्षरित किया गया हो। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 15.10.2012 के विवेचन के क्रम में मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम का विस्तृत विवेचन अंकित किया जाकर उभयपक्षकारान का पक्ष निर्णय में अंकित किया है तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.10.2012 का विवेचन अंकित कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एवं विपक्षीगण के जवाब का अध्ययन किये जाने के उपरान्त प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 18.10.2012 का अध्ययन किया जाकर राजीनामे के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कार्यवाही समाप्त की है। हमनें अपील मेमो का भी अध्ययन किया। अपीलाण्ट द्वारा कथन किया गया है कि राजीनामा प्रार्थी संख्या/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा किया गया तथा अपीलाण्ट की उपस्थिति व सहमति नहीं होने के बावजूद राजीनामे के आधार पर प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की गई है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र दिनांक 18.10.2012 पर प्रार्थी संख्या 2/अपीलाण्ट के अधिवक्ता के हस्ताक्षर हैं। जो अपीलाण्ट की ओर से किये गये हैं तथा वर्तमान अपील में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भी अपीलाण्ट द्वारा उन्हीं विद्वान अधिवक्ता श्री अम्बा लाल कुमावत को वकील नियुक्त किया गया है । ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि राजीनामा प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता अपीलाण्ट के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर करने व प्रार्थीगण की ओर से पक्ष प्रस्तुत करने बाबत अपीलाण्ट को कोई उजर हो। अपीलाण्ट के अधिनस्थ न्यायालय में नियुक्त अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र हस्ताक्षरित करने एवं प्रस्तुत करने से तथा पक्ष प्रस्तुत करने के दौरान अपीलाण्ट का पक्ष स्पष्ट नहीं किये जाने बाबत यदि कोई असहमति होती तो इसका अंकन अपील मेमों में भी किया जाता । परन्तु इस बाबत कोई अंकन अपील मेमो में नहीं किया गया है। प्रकरण में मूल वाद की भॉति हक हिस्सों का निर्धारण नहीं किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत निष्कर्षण किया जाना था। राजीनामा प्रार्थना पत्र जो वादी संख्या 1 व वादीगण के अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत किया गया है, के आधार पर प्रथमदृष्टया प्रकरण पाया जाकर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया गया है। अपीलाण्ट के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए मूल वाद में पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। अतः इस स्तर पर अपील मेमो के आधार पर कोई अनुतोष दिया जाना उचित नहीं समझते हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं।

15. ऐसे में अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.12.2012 को यथावत रखा जाता है।

16. निर्णय आज दिनांक 28.8..2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

28/8/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा